12/04/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। पत्रावली व
उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन व वकुताय की बहस
पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह
स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व
उनके परिवार जनो के खातेदारी की भूमि है.
परन्तु नायब तहसीलदार नाना व पटवारी हल्का
भन्दर की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	ग्राम भन्दर के 3719, 3720, 3721 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.10 हैक्टर में मौके पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा है। वादीगण द्वारा अपने वाद में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन प्रवेश कर खड़े वृक्ष काटने तथा बोई गई फसल प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नष्ट करने की कार्यवाही को रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92A व 188 के तहत प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध सर्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रस्तुत तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम भन्दर के खसरा नं. 3719, 3720, 3721 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.10 हैक्टर, जो कि वादीगण व उनके परिवारजनों की खातेदारी भूमि है, उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व उसके परिवारजन किसी प्रकार से दखलअंदाजी नहीं करें। वादीगण की भूमि में अवैध रूप से प्रवेश नहीं करे। खड़े वृक्षो की कटाई न करे, बोई गई फसल को नुकसान नहीं पहुंचावें। इस आशय के सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री RT Act 1955 की धारा 92A, 188 के तहत बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी कि जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम है।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

अदालत सहायक ... इजलास सुश्री ... वादीगण :-

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

इजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.**

वादीगण :–

1. गिरधारी पुत्र स्व. पुखराज
2. जमनादेवी पत्नी स्व. पुखराज

जातिगण छीपा निवासीगण भंदर तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नाथूराम पुत्र स्व. लक्षमाराम गरासिया निवासी भारला भंदर तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/327

वाद अन्तर्गत धारा 92 ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि भंदर के खसरा नंबर 3719, 3720, 3721 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की दखलन्दाजी, खडे वृक्षों की कटाई व बोई गई फसलों को नुकसान नहीं करें। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-04-23 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली